

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 15(10)/एल-11/गोप्र/प्रमुवस-06263-पार्ट-11/ 964

दिनांक : 21/11/24

निमित्त,

श्री पी.कथिरवेल
मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव एवं क्षेत्र निदेशक
रणथम्भीर बाघ परियोजना,
सवाई माधोपुर।

विषय :- वनरक्षक/सहायक वनपाल से संबंधित डाटाबेस के संबंध में।

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के पत्रांक एफ 15(10)/एल-11/गोप्र/प्रमुवस- 06263-पार्ट-11/ 8899-8925/सी दिनांक 22.12.2023 के द्वारा वनरक्षक/सहायक वनपाल से संबंधित डाटाबेस के संबंध में सूचनाएँ आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कार्मिक शाखा प्रभारी के साथ दिनांक 16.01.2024 को आयोजित बैठक में लेकर प्रेषित करने एवं मुख्य वन संरक्षक अपने स्तर से प्रेषण से पूर्व सूचनाओं का परीक्षण करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये थे। दिनांक 16.01.2024 को आयोजित बैठक में आपके कार्यालय से संबंधित सूचनाओं के अवलोकन करने पर पाया गया है कि आपके द्वारा प्रेषित सूचना त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/विरोधाभासी है।

आप द्वारा प्रेषित सूचनाओं में अनेक अन्य त्रुटियों भी उजागर हुई हैं जिसके बारे में उपस्थित कर्मचारियों को अवगत करवा दिया गया है। इस कार्यालय के पत्रांक एफ 15 (10)/एल-10/ गोप्र/प्रमुवस/ 7832-7944/सी दिनांक 12.09.2023 के द्वारा बिन्दु संख्या 3(ब) एवं 52-56/सी दिनांक 03.01.2024 में वांछित सूचना हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी सीधी भर्ती परीक्षा वर्ष 2015, TSP/NTSP का प्रमाणिक दस्तावेज से गहनतापूर्वक परीक्षण करने के उपरांत सूचना प्रेषित करने के निर्देश दिये गए थे जिससे किसी भी अभ्यर्थी के प्राप्ताकों/विवरण में कोई त्रुटि ना हो एवं हार्डकॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में भी कोई विरोधाभास न हो।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आपको स्पष्ट निर्देश देने के उपरांत भी आपके द्वारा सूचना प्रेषित करने से पूर्व सूचनाओं का अवलोकन/परीक्षण नहीं कर केवल औपचारिकता पूरी करते हुए सूचना इस कार्यालय को प्रेषित कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली गयी है। फलस्वरूप उक्त आयोजित बैठक में वांछित सूचना सही एवं पूर्णरूप में नहीं प्राप्त होने से राजकीय कार्य निष्पादन भी बाधित हुआ। जो कि आपकी राजकीय कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है। उक्त सूचनाओं की त्रुटियों को तत्काल सही करने की अत्यन्त आवश्यकता है। यदि आपके अधीनस्थ उप वन संरक्षकों द्वारा आपके निर्देशों की अवहेलना की जा रही है तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव प्रेषित करना/वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रविष्टि अंकित करना सुनिश्चित करें।

अतः आप समस्त सूचनाओं का व्यक्तिशः परीक्षण करने के उपरांत आपके कार्यालय में पदस्थापित उप वन संरक्षक (प्रशासन) एवं समस्त उप वन संरक्षकों को कार्मिक प्रभारियों के साथ दिनांक 23.01.2024 को प्रातः 11.00 बजे मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन) के कक्ष में उपस्थित होना सुनिश्चित करावे।

भवदीय,



(राजीव चतुर्वेदी)

मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन)

राजस्थान, जयपुर

दिनांक :

क्रमांक : एफ 15(10)/एल-11/गोप्र/प्रमुवस-06263-पार्ट-11/

प्रतिलिपि:

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर को संबंधित अधिकारियों द्वारा उच्च कार्यालय के निर्देशों की उपरोक्तानुसार अवहेलना के संबंध में इनके वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में तदनुसार टिप्पणी अंकित करने का कष्ट करावे।
2. उप वन संरक्षक सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।

मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन)

राजस्थान, जयपुर